न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :–श्रीमती शकुंतला चौधरी आर.ए.एस.

मि0न0 – 06/2022
अनवान : –

1. ओमप्रकाश पुत्र रावताराम जाति छींपा निवासी नेठराना त0 भादरा।

अपीलार्थी

बनाम्

1. राममुर्ती पुत्र रावताराम जाति छींपा निवासी नेठराना त0 भादरा।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।
3. ग्राम पंचायत नेठराना जरिये सरपंच ग्राम पंचायत नेठराना त0 भादरा। **रेस्पोडेन्टस**

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 75 लैण्डरैवेन्यू एक्ट

उपस्थिति :–श्री योगेश शर्मा **प्रार्थी**
श्री दीवान सिंह **अप्रार्थी**

निर्णय दिनांकः 15/06/2023

संक्षेप में प्रार्थना के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा चक 4 एनटीआर के खाता सं0 76/74 की कुल 3.7950है0 में रेस्पोन्डेन्टस सं0 1 के नाम दर्ज 9/44 हिस्सा का हक त्याग रेस्पोडेन्टस सं0 1 ने अपीलार्थी के पक्ष में दिनांक 12.09.2022 को किया था जो कि जरिये रजिस्ट्रर्ड दस्तावेज हकत्याग/ दस्तबदारी हुआ था। लेकिन रेस्पॉडेन्टस सं0 3 ने अपीलार्थी ओमप्रकाश के पक्ष में मुताबिक हक त्याग दिनांक 12.09.2022 का नामान्तरण दर्ज नहीं कर व नामान्तरण सं0 664 दिनांक 14.10.2022 को अस्वीकार कर दिया। इसलिए अपील अपीलार्थी अन्दर मियाद होने के कारण मुताबिक हक त्याग दिनांक 12.09.2022 का नामान्तरण अपीलार्थी के पक्ष में दर्ज किये जाने योग्य है।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेन्टस को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामिल होने के बाद रेस्पोडेन्टस सं0 1 ने सहमती प्रकट की तथा रेस्पोडेन्टस सं0 3 की तामिल होने पर हाजिर अदालत नही होने के कारण उनके विरूद्व एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

बहस वकील प्रार्थी सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने कथन किया कि रोही मौजा चक 4 एनटीआर के खाता सं0 76/74 की कुल 3.7950है0 में रेस्पोन्डेन्टस सं0 1 के नाम दर्ज 9/44 हिस्सा का हक त्याग रेस्पोडेन्टस सं0 1 के द्वारा अपीलार्थी के पक्ष में दिनांक 12.09.2022 को किया था जो कि जरिये रजिस्ट्रर्ड दस्तावेज हकत्याग/ दस्तबदारी हुआ था। लेकिन रेस्पॉडेन्टस सं0 3 ने अपीलार्थी ओमप्रकाश के पक्ष में मुताबिक हक त्याग दिनांक 12.09.2022 का नामान्तरण दर्ज नहीं कर व नामान्तरण सं0 664 दिनांक 14.10.2022 को अस्वीकार कर दिया। इसलिए अपील अपीलार्थी अन्दर मियाद होने के कारण मुताबिक हक त्याग दिनांक 12.09.2022 का नामान्तरण अपीलार्थी के पक्ष में दर्ज किये जाने योग्य है। इसलिए अपील अपीलार्थी

स्वीकार की जाकर नामान्तरण सं0 664 दिनांक 14.10.2022 को पुनः बहाल किया जावें। वकील रेस्पोडेन्टस सं0 1 ने इस पर सहमती प्रकट की ।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। अपील अपीलार्थी अन्दर मियाद होने के कारण प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया गया। रेस्पोन्डेन्टस द्वारा दिनांक 12.09.2022 को जरिये दस्तबदारी अपना हक हिस्सा रोही मौजा चक 4 एनटीआर के खाता सं0 76/64 से अपीलार्थी के पक्ष में त्याग किया गया है। हल्का पटवारी द्वारा दिनांक 30.09.2022 को नामान्तरण दर्ज किया गया लेकिन ग्राम पंचायत द्वारा बिना किसी कानूनी बिन्दू के ना0सं0 664 दिनांक 14.10.2022 को अस्वीकार कर दिया गया। इस प्रकार नामान्तरण खारिज/अस्वीकार किये जाने पर अपीलार्थी के हित प्रभावित हुए है। इसलिए मुताबिक दस्तावेजात तथा विवेचानुसार अपील अपीलार्थी स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार की जाती है।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 75 एलआरएक्ट स्वीकार किया जाकर तहसीलदार भादरा तथा ग्राम पंचायत नेठराना को निर्देशित किया जाता है कि उनके द्वारा पुनः नामान्तरण रजिस्ट्रर खोला जाकर विधिसंवत नामान्तरण सं0 664 दिनांक 14.10.2022 को बहाल कर अपीलार्थी के पक्ष में नामान्तरण तस्दीक किये जाने की कार्यवाही कर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त करे।

निर्णय आज दिनांक 15/06/2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा जिला-हनुमानगढ़

(शकुंतला चौधरी)
R.A.S
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़